भारतीय योजना आयोग
Planning Commission of India

योजना आयोग पुर्णतया एक सलाहकारी संस्था है जिसका कार्य योजनाओं का निर्माण करना एवं योजनाओं की प्रगति का मुल्यांकन करना है।

स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद भारत के नियोजित विकास के लिए योजनाबद्ध विकास के रास्ते को चुना गया तथा इसके लिए पंचवर्षीय योजना बनाया गया तथा इस पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित किया गया। इसके लिए एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था को स्थापित किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् कांग्रेस दल ने एक आर्थिक कार्यक्रम समिति बनायी जिसने 1948 में एक स्थायी योजना आयोग स्थापित करने की सिफारिश की जिसके फलस्वरूप 15 मार्च, 1950 को योजना आयोग की विधिवत स्थापना कर दी गयी। इसे ही Planning Commission of India के नाम से जाना जाता है।

भारतीय योजना आयोग के कार्य Function

भारतीय योजना आयोग का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना है या जरूरत पड़ने पर एक वर्षीय योजना बनाना है। इनके कार्यों को निम्न भागों में बांटा जाता है -

1. साधनों का अनुमान लगाना (Assessment of Resources) - किसी भी योजना को लागू करने के लिए सबसे महत्वपुर्ण कार्य है साधनों का अनुमान लगाना और इसी कारण से भारतीय योजना आयोग देश में उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय साधनों का अनुमान लगाती है जिससे कि उन साधनों का जन-साधारण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपयोग करने की संभावनाओं को ज्ञात किया जा सके।

2. प्राथमिकताओं का निर्धारण (Fixation of Priorities) देश में विकास तो सभी ओर करना है लेकिन यह तय करना है कि पहले विकास किस ओर किया जाए प्राथमिकता निर्धारण करना कहलाता है। यह आयोग इन प्राथमिकताओं का निर्धारण करता है और सुझाव देता है कि किस कार्य को पहले और किस कार्य को बाद में किया जाए।

3. उपलब्ध साधनों का बंटवारा (Allotment of Resources) - देश में जो साधन उपलब्ध है उनका बंटवारा योजनाओं में

Scanned with CamScanner

किस प्रकार किया जाय यह कार्य इसी आयोग के द्वारा किया जाता है।

4. बाधक तत्वों की ओर ध्यान दिलाना (To Attract Attention towards Obstacles) -
यदि देश में आर्थिक विकास में कोई तत्व बाधक है या कोई बाधाएँ उपस्थित होने की संभावना है तो आयोग ऐसी बाधाओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता है। भारत में गरीबी का दुश्चक्र, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति, प्रतिकूल भुगतान संतुलन, आर्थिक संरचना की कमी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का निम्न स्तर आदि समस्याओं की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाना भारतीय योजना आयोग का मुख्य कार्य होता है।

5. योजना का निर्माण (Formulation of Plan) -
भारतीय योजना आयोग का प्रमुख कार्य है योजना का निर्माण करना। भारत में पांच वर्षों के लिए योजना का निर्माण होता है जिसे पंचवर्षीय योजना कही जाती है।

6. प्रगति का मुल्यांकन (Evaluation of Progress) -
योजनाओं को लागू हो जाने पर उसके क्या परिणाम हुए अथवा नहीं इसका मुल्यांकन करना भी योजना आयोग का कार्य है। यदि योजनाओं को लागू करने में किसी तरह की कठिनाई है तो उसके बारे में सुझाव देने का कार्य भी आयोग का है।

भारतीय योजना आयोग का संगठन - Organisation

वर्तमान में भारतीय योजना आयोग के 6: सदस्य एवं कृषि, मानव संसाधन, गृह, वित्त, उद्योग, ऊर्जा, जल संसाधन वन व पर्यावरण तथा नियोजन मंत्री पदेन सदस्य होते है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष है।

भारतीय योजना आयोग के विभाग

- समन्वयकारी विभाग
- साधारण विभाग
- विषय विभाग
- विशिष्ट विभाग
- अन्य संस्थाएँ

1. समन्वयकारी विभाग (Co-ordination Department) -
(a) कार्यक्रम प्रशासन विभाग
(b) कार्यक्रम समन्वय विभाग को शामिल किया जाता है।

Scanned with CamScanner

2. साधारण विभाग – इस विभाग की सात संख्या है।
(a) सांख्यिकीय एवं सर्वेक्षण विभाग
(b) श्रम, रोजगार एवं जनशक्ति विभाग
(c) आर्थिक विभाग
(d) प्रबोधन तथा सूचना विभाग
(e) भावी योजना विभाग
(f) बहुस्तरीय योजना विभाग
(g) राज्य योजना विभाग

3. विषय विभाग – इस विभाग की तेरह संख्या है।
(a) कृषि विभाग
(b) ग्राम एवं लघु उद्योग विभाग
(c) सिंचाई तथा नियंत्रण क्षेत्र विकास विभाग
(d) उद्योग एवं खनिज विभाग
(e) परिवहन विभाग
(f) स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग
(g) समाज कल्याण एवं पोषाहार विभाग
(h) शिक्षा विभाग
(i) विद्युत उर्जा विभाग
(j) आवासीय शहरी और जल आपूर्ति विभाग
(k) विज्ञान और शिल्प विज्ञान विभाग
(l) पिछड़ावर्ग विभाग
(m) संचार, सूचना व प्रसारण विभाग

(4) विशिष्ट विभाग – इस विभाग की दो संख्या है।
(a) ग्रामीण विकास एवं सहकारिता
(b) परियोजना विभाग

(5) अन्य संस्थाएँ – योजना आयोग के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाएँ कार्य करती है –
(a) कार्यकारी दल
(b) सलाहकारी समितियाँ तथा पैनल
(c) मूल्यांकन समितियाँ
(d) अनुसंधान समितियाँ

भारत में योजना निर्धारण की अवस्थाएँ
(Stages of Planning process under Planning Commission)

भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ छह अवस्थाओं से होकर गुजरती है जो निम्नलिखित है –

प्रथम चरण –
1. सामान्य पहुँच (General Approach) –
योजना आयोग द्वारा योजना प्रारम्भ करने से तीन वर्ष पूर्व सामान्य पहुँच का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया जाता है जिसमें विस्तृत सुझाव पेश किये जाते हैं फिर पर केन्द्रीय मंत्रीमण्डल एवं राष्ट्रीय

Scanned with CamScanner

विकास परिषद विचार करती है।

द्वितीय चरण -

2. अध्ययन दलों को संगठित करना - इस चरण में पहले चरण में दिये गए सुझावों की स्वीकृति पर भौतिक लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। तथ्यों के आधार पर ड्राफ्ट मेमोरेण्डम बनाया जाता है जिस पर विचार करने के लिए विभिन्न प्रकार के अध्ययन दलों को संगठित किया जाता है।

तृतीय चरण :-

3. रूप रेखा तैयार करना - जब अध्ययन दलों की रिपोर्ट आ जाती है तो फिर योजना की रूपरेखा बनायी जाती है जिसको विभिन्न मंत्रालयों को भेजा जाता है तथा जिस पर मन्त्रिमण्डल भी विचार करता है। इसके बाद अध्ययन दलों तथा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विचार-विमर्श किया जाता है जिसकी स्वीकृति मिलने पर जनता के लिए प्रसारित कर दिया जाता है जिससे कि जनता भी इस पर अपने विचार प्रकट कर सके।

चतुर्थ चरण —

4. विस्तृत विचार विमर्श - इस अवस्था में राज्यों में विचार-विमर्श किया जाता है जिसपर अन्तिम निर्णय राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है। यह विचार विमर्श राज्यों में संबंधित योजना के मांग पर ही किया जाता है

पंचम चरण —

(5) नवीन रूपरेखा — केन्द्र, राज्य, जनता व अन्य सामाजिक संस्थाओं व निजी व्यक्तियों के सुझाव आदि को ध्यान में रखकर एक नवीन कार्यक्रम बनाया जाता है। इस नवीन रूपरेखा में योजना की प्रमुख बातों का उल्लेख होता है। अब योजना प्रारम्भ इस स्थिति में आ जाती है कि इसे भारतीय योजना आयोग केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल व राष्ट्रीय विकास परिषद को उनकी स्वीकृति हेतु सौंप देती है।

षष्ठम चरण

(6) अंतिम प्रतिवेदन — इस अवस्था में योजना आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद की रिपोर्ट के आधार पर योजना सम्बन्धी अंतिम प्रतिवेदन तैयार करता है जिसको केन्द्रीय मंत्रीमण्डल व परिषद की स्वीकृति पर प्रकाशित कर दिया जाता है और फिर संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिस पर संसद विचार-विमर्श करती है और उस योजना को स्वीकृति प्रदान करती है जिससे यह योजना का रूप ले लेता है।

———×———